



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.4(78) परावि/पीसी/एमआईएस/2015-16/2192

दिनांक 09/08/2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त

विषय :- इंटीग्रेटेड राज ई-पंचायत सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन हेतु निर्देश बाबत स्पष्टीकरण।
संदर्भ :- विभागीय निर्देश क्रमांक 881 दिनांक 13.04.2017 एवं निर्देश क्रमांक 188 दिनांक 05.05.2017 के संदर्भ में।

महोदय,

इंटीग्रेटेड राज ई-पंचायत सॉफ्टवेयर का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संदर्भित पत्र के द्वारा आदेश जारी किये गये थे, जिसके अनुसार दिनांक 01.04.2017 से इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी जिला परिषद, पंचायत समिति एवं चयनित ग्राम पंचायतों में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, भुगतान की कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये थे एवं सॉफ्टवेयर की समीक्षा के उपरान्त दिनांक 01.08.2017 से शेष ग्राम पंचायतों में इसे लागू किया जायेगा।

कुछ जिलों द्वारा यह स्पष्टीकरण चाहा गया है कि 01.08.2017 से सॉफ्टवेयर को सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया जाना है अथवा नहीं ? इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि सॉफ्टवेयर से कार्य संपादन की वर्तमान प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए सॉफ्टवेयर को 01.08.2017 से सभी ग्राम पंचायतों में लागू करने के निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। अतः आगामी निर्देश जारी होने तक चयनित ग्राम पंचायतों को छोड़कर शेष ग्राम पंचायतों में भुगतान की व्यवस्था पूर्व की भांति चेक के माध्यम से यथावत रहेगी परन्तु अन्य पंचायतों में सॉफ्टवेयर की तैयारी बाबत अन्य कार्य जैसे: बैंक डिटेल , 01.04.2016 का प्रारम्भिक शेष का स्कीम वाइज क्लासिफिकेशन, वर्क अपलोड , स्वीकृती जारी करना, वाउचर बनाना आदि ऑनलाईन प्रारंभ किया जावें। इस हेतु ग्राम पंचायतों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जावें।

भवदीय


(नवीन महाजन)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, एवं आयुक्त, पंचायती राज
2. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त

3. एसीपी, पंचायती राज ।
4. संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ।
5. एसपीएमयू, पंचायती राज ।
6. डीपीएमयू, जिला परिषद समस्त ।


अधीक्षण अभियन्ता